

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

क्रमांक : राजस्व/17/ 616

दिनांक : 12/7/2018

तहसीलदार (राजस्व)
श्रीकरणपुर

विषय : प्रकरण संख्या 64/2017 अनवान पूर्णदास बनाम
स्टेट ऑफ राजस्थान अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट
निर्णय दिनांक :- 12.07.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2017 के अनुसार प्रार्थी पूर्णदास का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 13 एफएफ की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 84/75 मे अंकित नाम पूर्णचंद पुत्र लखू राम जाति कम्बोज के स्थान पर पूर्णदास पुत्र लखू राम जाति कम्बोज अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। इस खाते के शेष अंकन बदस्तूर रहेगे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीपुंरानगर)
श्रीकरणपुर

दिनांक :

12/7/2018

क्रमांक : राजस्व/17/ 617

प्रतिलिपि:-

1. पूर्णदास पुत्र लखू राम जाति कम्बोज निवासी 13 एफएफ मानकसर को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीपुंरानगर)